

एस.एस. रसाईली, निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर द्वारा दिनांक 02.11.2015 को जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रस्तावित नौटी-छतोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु 0.17 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर निरीक्षण आख्या -

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 02.11.2015 को किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री रवीन्द्र कुमार निराला, उप वन क्षेत्राधिकारी, धनपुर रेंज गौचर, साथ में रहे। मोटर मार्ग के स्थलीय निरीक्षण से पहले मार्ग का मानचित्र एवं उससे लाभान्वित होने वाली बसावट, स्कूल, हॉस्पिटल आदि का अध्ययन किया गया-

वैकल्पिक संरेखण का निरीक्षण:-

1. इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या अधिक है।
2. इस संरेखण में अधिक संख्या में बांज वृक्षों का पातन हो रहा है।
3. इस संरेखण में अधिक वन भूमि प्रभावित हो रही है।
4. इस संरेखण में लाभान्वित होने वाली बसावट कम है।

प्रस्तावित संरेखण का निरीक्षण:-

1. वैकल्पिक संरेखण की तुलना में इस संरेखण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या कम है।
2. यह संरेखण भू-वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है।
3. इस संरेखण से लाभान्वित होने वाली बसावट वैकल्पिक संरेखण की तुलना में अधिक है।

निरीक्षण के दौरान नौटी-छतोली मोटर मार्ग का जखेट तक विस्तार हेतु प्रस्तावित संरेखण में बांज के 12 वृक्ष एवं अन्य प्रजातियों के 82 वृक्षों सहित कुल 94 वृक्ष प्रभावित होना पाया गया।

अतः प्रस्तावित संरेखण को स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पाये।
2. मोटर मार्ग निर्माण के लिये पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्ष को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाये।

3. मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलवे को निर्धारित मक डिस्पोज क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।
4. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आसपास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाये।
5. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीवों का आखेट न होने पाये। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(एस.एस. रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक

1624 / 12-1

दिनांकित।

4/11/15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फोरेस्ट कॉलोनी देहरादून।
- 2:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
- 3:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर।

(एस.एस. रसाईली)

निदेशक/वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।